Vol 3 Issue 5 June 2013

Impact Factor : 0.2105

ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor

Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief

H.N.Jagtap

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Indian Streams Research Journal
Volume 3, Issue. 5, June. 2013
ISSN:-2230-7850

Available online at www.isrj.net

ORIGINAL ARTICLE

नारी और उसके मानवाधिकार

पूनम केशरवानी

(शोध छात्रा)
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सगर (म.प्र.)

सारांश:

अष्टादश पुराणेशु वासस्य वचनदव्यम ।
परोपकाराय पुण्याम् पापाय परपीडनम ।।

'' नारी के प्रति सम्मान की मात्रा को समाज की सभ्यता का एक मापदण्ड माना जाता है ।'' किसी भी युग में सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण तथा विकास में पुत्री, पत्नि और माता तीनों रूपों में नारी का योगदान महत्वपूर्ण होता है । नारी ही समाज व्यवस्था व परिवार की संस्था को कायम रखने वाली धुरी है । स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, '' पश्चिम की नारी पहले पत्नि है फिर मॉ, जबकि भारतकी नारी पहले मॉ है और बाद में पत्नि '' इस प्रकार पश्चिमी संस्कृति में नारी का पत्नि और प्रेश्यी रूप प्रधान है । भारतीय संस्कृति में मॉ का स्थान सर्वोपरि है और यही यह पुरूष से ऊॅची है । हमारे आचार्य जब स्नातकों को जीवन व्यवहार की शिक्षा देते थे, तब यही कहते थे– ' मात्र देवो भव, पित्र देवो भव, आचार्य देवो भव ।' इसमें माता का स्थान गुरू और पिता से पहले है ।

प्रस्तावना :

किन्तु भारत में नारी की स्थिति विरोधाभास पूर्ण रही है । परंपरा से नारी को शक्ति का रूप माना गया । किन्तु आम बोलचाल की भाशा में उसे 'अबला' कहा जाता है । महाकाव्य, धार्मिक–ग्रंथों व प्राचीन इतिहास की पुस्तकों में नारी की शक्ति व उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, परन्तु लंबे मध्यकालीन युग में नारी का महत्व कम हो गया तथा उसे अधिकाधिक कठिनाईयों तथा बर्बर रीतिरिवाजों का शिकार होना पडा । 16 अंततः नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड गयी व अनपढ होने से उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सका । फलतः अनेक संकीर्ण विचारधाराऍ एवं रूढियॉ असे जकडती गयी फलस्वरूप इन्हे समाप्त करने के लिए समाज सुधारकों ने पहल की तथा महिलाओं से अपील की कि वे अपनी रूढीगत मान्यताओं को त्याग दे ताकि घर की चार दीवरों से बाहर निकलें ।

वर्तमान में नारी ने सिध्दांत समानता के अधिकार की लडाई जीत ली है इन्हें संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त हैं । आज महिलाओं में आत्मविश्वास आत्मबल दिखाई पडता है । आज पढी–लिखी महिलाओं में जागरूकता आ रही है तथा वे चाहती हैं कि वे निजी समस्याओं तक ही केन्द्रित न रहकर समाज देश व विश्व के व्यापक संदर्भो से भी जुडें ।

महिलाओं में स्वतंत्रता का विचार समानता का अधिकार आदि प्रश्न फ्रांस की क्रांति के समय और नवजागरण काल में समूचे पश्चिमी गोलार्ध में फैल गये तथा महिला उत्थान के लिए एक आंदोलन की शुरूआत भी हुई । विश्व युध्द के समय पुरूषों के मोर्चे पर जाने के कारण महिलाओं को पुरूषों के कार्यों की जिम्मेदारी संभालना पडी । युध्द केबाड कीमतें बढ जाने से और जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से महिलाओं को घर से बाहर जाना पडा तथा आर्थोपार्जन के लिए नौकरी करनी पडी । फिर भी विडम्बना यह है कि उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक ही समझा जाता है । सीमोन 5 बोडवार (1981) ने अपने अध्ययनद्वदि सेकेण्ड सेक्स के माध्यम से इस समस्या की तह तक जाने का प्रयास किया है 12 माग्रेट मीड (1974) 3, गुनार मिरडल (1976) आदि महिलाओंने स्त्री पुरूष समानता की व्याख्या की हैं । महिला साहित्यकार वरजीनिया बूल्फ ने भी महिला चित्र कों उभारा है । भारत में भी महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी और समाज के नेतागण महिला–पुरूष समानता की बात करने लगे और महिलाओं पर होनेवाले अत्याचारों के विरूध्द आवाज उठाने लगे ।

ए.एम.अल्तेकर (1962) ने अपनी पुस्तक 'दि पोजीशन ऑफ विमेन इन इण्डियन सिविलायरजेशन' में वैदिककाल से लेकर आज तक भारतीय महिलाओं की स्थिति का वृध्द चित्रण प्रस्तुत किया है ।4 अनेक ऐसे समाजशास्त्रियों जैसे हाटे (1948), देसाई (1957). कपाडिया (1958–59), श्यामाचरण दुबे (1976), कपूर (1970) ने घर एवं समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन की प्रवृत्ति का अध्ययन किया ।5

आज आवश्यकता है महिलाओं को अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके उनके लिए संघर्ष करने की स्वयं में संकल्पशक्ति तथा दृढता लाने की । परप्तू आज ीी महिलाओं का बहुसंक्ष्यक वर्ग ऐसा हैं जो स्वयं की चेता से कार्य करने असमर्थ है । चूंकि महिलाएं पुरूष नियंत्रित समाज में रहती है । व उन्हीं के द्वारा निर्देशित चेतना के अनुरूप व्यवहार करती हैं व उनका समाजीकरण भी उसी परिवेश में होता है अतः उन्हे कुछ अटपट्टा महसूस नहीं होता है । स्पष्ट रू‍प से उनके मनः मस्तिश्क में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है । तुम्हें सोचने की जरूरत नही है या तुम इस योग्य नहीं हो, फलतः वे भी अपने आपको वैसा ही समझाते लगती हैं तथा बाद में अपनी संतान को भी इसी सोच में दीक्षित करती हैं । जिसका परिणाम समाज व राष्ट्र को भुगतना पडता है कि वह संवैधानिक अधिकार मिल जाने से ही समस्या का हल संभव–नहीं इसके लिए आवश्यकता है समाज के सोच में व्यापक बदलाव की तथा सदियों के संस्कार जन्म अनुभव से विकसित नारी के मनोविज्ञान में परिवर्तन की उनकी प्रकृतिदत्त हीनताओं को ध्यान न देकर उनके मनोवैज्ञानिक पहलू को समृध्द करने की ।

आज की नारी बराबरी के वैधानिक अधिकार पाकर भी अपनी नई पहचान को बना पाने में अपने को असमर्थ महसूस कर रह हैं । यह सच हैं कि महिलाऍ आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे आयी है । तथा समाज के प्रति अपने दायित्व को बखूबी निर्भर रही हैं । किन्तु इस

Title : *नारी और उसके मानवाधिकार*
Source:Indian Streams Research Journal [2230-7850] *पूनम केशरवानी* **yr:2013 vol:3 iss:5**

बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन वर्शों में महिलाओं के साथ सामाजिक उत्पीडन की घटनाओं में लगातार वृध्दि हुई है तथा महिला के प्रति व्यावसायिक और भोगवादी नजरिया तेजी से पनपा है । यदि महिला भी समान रूप से मनुष्य है तो उसके साथ भी समान व्यवहार क्यों नही होता ? उसके क्यों समाज में Second Citizen के रूप में बिठाया गया है । विचार और वास्तविकता के बीच आज एक दीवार खडी है । समाज को सडी–गली परंपराओं, अंधविश्वासों निजी स्वास्थों के तहत नारी के प्रभामंडल को समाप्त प्रायः करने की कोशिश आज भी जारी है । स्त्रियों के बढते अपराध विकृत समाज व्यवस्था के कारण ही हैं । उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव महिलाओं पर भी पडा है । भारत में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि ' हर 52 वे मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, प्रति 26 वे मिनट में किसी एक स्त्री पर हमला, प्रति 43 वे मिनट में किसी महिला का अपहरण प्रति 12 वें मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है ' आज महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढती जा रही है प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं की स्थिति एवं उसे प्राप्त मानवाधिकारां से संबंधित है जिसका उद्देश्य नारी को उसे प्राप्त अधिकारों के प्रति जगाना है ।

महिला हित में बनाए गए कानून :–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जाति लिंग और धर्म भेद का अंतर किए बिना निरपेक्षता से हमारे संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। स्वाधीनता के बाद जो भी कानून या रिवाज पुरूश के मुकाबले स्त्री को छोटा समझते थे । वे समाप्त हो गए हैं । इसके अलावा वे सभी नए कानून जो संवैधानिक समानता के मापदण्ड तक नहीं पहुंचते थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया है । पिछले कई उनके मूल अधिकार देने के लिए अनेक कानून बदले गए और नये कानून बनाए गए ।

स्त्री अधिकारों संबंधी कानूनों को मोटेतौर पर दोन श्रेणियों में बोंटा जा सकता है । एक वे जो पारंपरिक समाज में स्त्री को पुरूषों के समान अधिकर दिलाने की कोशिश करते है । दूसरे वे जो आधुनिक नागरिक समाज को हिंसा ओर उपभोक्तावादी हमलों से बचाने का दावा करते हैं । पहली श्रेणी में विवाह अधिनियम (1954), हिन्दु विवाह और तलाक अधिनियम विशेष (1955), हिन्दु उत्त्राधिकार अधिनियम (1956), हिन्दु दत्तक और भरण पोशण अधिनियम (1987), हिन्दु आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम (1956) इत्यादि शामिल किए जा सकते हैं । दूसरी तरफ दहेज निवारण अधिनियम (1961, 1984, 1986) लिंग निर्धारण विरोधी अधिनियम अश्लीलता विरोधी अधिनियम को आधुनिकता के साथ आयी बुराइयों से स्त्रियों की रक्षा करने वाले कानूनों की श्रेणी में रखा जा सकता है । वेश्यावृत्ति दमन कानून या बलात्कार व घरेलू हिंसा से निपटने के लिए पुराने कानून में किए गए संशोधनों में भी अपराध की आधुनिक स्थितियों से निपटने की कोशिश साफ दिखलायी पडती है ।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए अलग से एक श्रेणी श्रम कानून भी है जिसके अंतर्गत कारखाना अधिनियम (1948), खान अधिनियम (1952), बागान अधिनियम प्रस्तूति लाभ अधिनियम (1961), समान कार्य के लिए समान वेतन अधिनियम (1976) इत्यादि शामिल है । लेकिन केवल कानून बना देने से ही बदलाव संभव नही है कानूनों की जानकारी भी महिलाओं के लिए होना आवश्यक है तभी वे अपने हित के लिए बनाए गए कानूनों का फायदा उठा सकती हैं । आज की सबसे बडी कमजोरी यदि मानव मात्र में है तो यह है उसके स्वयं अध्किारों की जानकारी अभाव । भारत में महिलाओं का एक बहुत बडा हिस्सा इन कानूनों से अनभित है , परिणामस्वरूप वे आने अधिकारों का उपयोग नही कर पाती तथा विपरीत परिस्थितीयॉं उत्पन्न होने पर भी अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पातीं स्त्रियों का उत्पीडन रोकने और उन्हें हक दिलाने के बारे में बडी संख्या में कानून पारित हुए हैं और अगर इन कानूनों का सचमुच पालन होता तो भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक खत्म हो जाता था । आज भी समाज में बाल विवाह खुल तौर पर होते हैं कानून कुछ नहीं कर पाता । संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में भी महिलाओं ने कानूनी विसंगतियों की चर्चा की और बताया कि पिता की संपत्ति में हक होने के बावजूद भी लडकियां भाई से संबंध न बिगडे इसलिये अपने हक की मांग नही करती । सिध्द होता है कि आज भी नारी केवल लोक–लज्जा और रिश्तों में माधुर्यता बनी रहे इसके लिए अपने अधिकारों का गला स्वयं ही घोट देती हैं ।

निष्कर्ष :–

नारी स्वतंत्र तब होगी जब वह अपनी दुनिया में जागरूक होगी, अपने शोषण का प्रतिकार करेगी और अपनी मानसिकता बदलेगी । पीढी दर पीढी व्यर्थ की लादी गयी परंपराओं मान्यताओं और छोटी–बडी समस्याओं से मुक्त होगी । समाज में अच्छी स्थिती लाने के लिए केवल कानूनी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते इसमे लिए जागरूकता को लाया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा कानूनों का पालन ठीक तरह से हो इसके लिए भी सजग रहना होगा । आज महिलाओं के लिए नये कानूनों का निर्माण उतना आवश्यक नहीं हैं जितना बने कानूनों को व्यवहारों में लाना । तब तक महिलाओं में वैधानिक चेतना जाग्रत नही होगी तब तक विधि जगत की संपूर्ण कार्यवाही अपंग ही रहेगी ।

आज वास्तव में स्त्री अधिकारों के प्रति बढती चेतना के इस दौर में पास हुये तमाम कानून सही मायनों में उपयोगी होने के बजाय सजावट की वस्तु साबित हुए हैं । उन्होने स्त्रियों को अधिकार संपन्न बनाने के बजाए राज्य को ज्यादा अधिकार संपन्न बनाया है ।7

संदर्भ ग्रंथ सूची

1.A.S.Altekar, 1962. The Position of women in Hindu civilization, P-1
2.S.Beauvior, 1981. The Second Sex, New Delhi is Chand and co.
3.M.Mead, 1974. Adolescene Issue, UNICEF News.
4.A.S.Altekar,1962. The Position of women in Hundu Civilization, Varanshi, Motilal Banarasidas.
5.C.A. Hate 1948. Hindu Women and her future, Bombay, New Book co. University Press.
6.अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 के अवसर पर प्रसारित संदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी द्वारा ।
7.राजकिशोर, 1994, स्त्री के लिए जगह, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन पृ. 29–30 ।
8.गंजी एम. इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ हयूमन राइटस, 1962 ।
9.डायसी ए.बी. दी लॉ ऑफ दी कांस्ट्टीयूशन, 1961 ।
10.बसु डी.डी., कामेटरी और दी कान्सटीटयूशन ऑफ इंण्डिया, 1965 ।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net